



## जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु

—:: आम सूचना ::—

विज्ञापन (सं.-02 / 2023-24)

- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक- 4729, दिनांक 04.06.2007, संकल्प ज्ञापांक-6440, दिनांक -17.07.2012 नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य(संशोधन) नियमावली, 2012 एवं ज्ञापांक-848, दिनांक-21.03.20217 एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के संकल्प 1617 दिनांक 17.03.2023 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड स्तर पर संविदा आधारित सृजित पद यथा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति (पूर्णतया संविदा के आधार पर) की जानी है। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत् है :-

पदनाम	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अत्यंत पि० वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आ०क०व०	कुल पद	दिव्यांग हेतु पद
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	3	1	1	0	2	1	8	0
तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	4	1	1	1	0	0	7	0
तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	17	3	6	3	3	4	36	2 प्रवर्ग-क-1 प्रवर्ग-ख-1 (क्षैतिज रूप से)
लेखा सहायक	2	1	1	0	1	0	5	0
कम्प्यूटर सहायक	2	1	0	0	0	0	3	0

उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन (<https://applyrdd.jharkhand.gov.in>) के माध्यम से दिनांक 18.09.2023 से 04.10.2023 तक समर्पित कर सकते हैं।

नोट :- निर्गत विज्ञापन संख्या 02 / 2023-24 की विशेष जानकारी/ नियुक्ति हेतु शर्तें/शैक्षणिक योग्यता के लिए बोकारो जिले के वेबसाईट [www.bokaro.nic.in](http://www.bokaro.nic.in) पर देखा जा सकता है।

  
11/09/23


नोडल पदाधिकारी,  
मनरेगा  
जि.ग्रा.वि.अभि.  
,बोकारो

  
11/09/23

निदेशक,  
ले.प्र.एवं स्व. नियो.,  
जि.ग्रा.वि.अभि., बोकारो

  
11/09/23

उप विकास आयुक्त,  
-सह-  
अति.जिला कार्य.समन्वयक,  
बोकारो

  
11.9.23

उपायुक्त,  
-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
बोकारो

ज्ञापांक .....589...../मनरेगा, बोकारो/ दिनांक .....11/9/2023.....

प्रतिलिपि :-

जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सभी मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में उक्त सूचना को प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :-

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (DIO), बोकारो को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना/विज्ञापन एवं विहित प्रपत्र को जिले के वेबसाईट [www.bokaro.nic.in](http://www.bokaro.nic.in) पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :-

उपायुक्त, बोकारो को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
11/09/23

नोडल पदाधिकारी,  
मनरेगा  
जि.ग्रा.वि.अभि.  
,बोकारो

  
11/9/23

निदेशक,  
ले.प्र.एवं स्व. नियो.,  
जि.ग्रा.वि.अभि., बोकारो

  
11/09/23

उप विकास आयुक्त,  
-सह-  
अति.जिला कार्य.समन्वयक,  
बोकारो

  
11.9.23

उपायुक्त,  
-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
बोकारो



## जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु

—:: आम सूचना ::—

विज्ञापन (सं.-02 / 2023-24)

- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक- 4729, दिनांक 04.06.2007, संकल्प ज्ञापांक-6440, दिनांक -17.07.2012 नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य(संशोधन) नियमावली, 2012 एवं ज्ञापांक-848, दिनांक-21.03.20217 एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प 1617 दिनांक 17.03.2023 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड स्तर पर संविदा आधारित सृजित पद यथा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति (पूर्णतया संविदा के आधार पर) की जानी है। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत् है :-

पदनाम	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अत्यंत पि० वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आ० क०व०	कुल पद	दिव्यांग हेतु पद
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	3	1	1	0	2	1	8	0
तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	4	1	1	1	0	0	7	0
तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	17	3	6	3	3	4	36	2 प्रवर्ग-क-1 प्रवर्ग-ख-1 (क्षैतिज रूप से)
लेखा सहायक	2	1	1	0	1	0	5	0
कम्प्यूटर सहायक	2	1	0	0	0	0	3	0

❖ उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट-बढ़ सकती है।

❖ नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा जिला हेतु निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

- प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के पद हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यताधारी/अहर्ताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

योग्यता :-

पद	शैक्षणिक योग्यता
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	1. अनिवार्य योग्यता - सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है, परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन

1

	<p>समर्पित कर सकते हैं। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा। ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा।</p> <p>2. अतिरिक्त योग्यता –</p> <p>(a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यतायें मानी जायेगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा कर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।</p> <p>(b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जाएगा।</p>
<p>तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)</p>	<p>1. अनिवार्य योग्यता – सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक अनिवार्य योग्यता होगी।</p> <p>2. अतिरिक्त योग्यता –</p> <p>(a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0/एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>(b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।</p>
<p>तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)</p>	<p>1. अनिवार्य योग्यता– सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। (अपर राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त के पत्रांक 1187 दिनांक 01.03.2013 के आलोक में सिविल संकाय में बी.ई. /बी.टेक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन करने योग्य होंगे।)</p> <p>2. अतिरिक्त योग्यता –</p> <p>(a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0/बी0ई0, बी0सी0ए0 /बी0एस0सी0कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>(b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।</p>

	<p>(c) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक में 5 घटा दिया जायेगा।</p>
लेखा सहायक	<p>1. अनिवार्य योग्यता – सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0कॉम0 ऑनर्स या सामान्य बी0कॉम0 न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम0 उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परंतु जिन्होंने तत्पश्चात् एम0कॉम0 किया हो, तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी0कॉम0 के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाकर उसे बी0कॉम0 ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।</p> <p>2. अतिरिक्त योग्यता—</p> <p>(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0कॉम0, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>(b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।</p>
कम्प्यूटर सहायक	<p>1. अनिवार्य योग्यता—</p> <p>a- सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे –</p> <p>i- बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स</p> <p>ii- बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सामान्य</p> <p>iii- बी0सी0ए0</p> <p>iv- सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण</p> <p>b- बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटाकर बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा।</p> <p>2. अतिरिक्त योग्यता –</p> <p>(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>(b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0/सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो। अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जाएगा।</p>

उपर्युक्त वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यताएँ जिसकी सरकारी से मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होंगी।

3. आयु सीमा :- उपर्युक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्सम प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी (सरकार के अपर मुख्य सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार

0

तथा राजभाषा विभाग के संकल्प 7636, रॉची दिनांक 12.10.18)। आयु सीमा दिनांक 01.08.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम :-

क्रम	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनो के लिए
1	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2	पिछड़ा वर्ग /अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

4. परिलब्धि – प्रधान सचिव, ग्रा0वि0वि0, झारखंड, रॉची के संकल्प संख्या N 1028 दिनांक 04.08.2022 द्वारा निम्न विवरणी के अनुसार मासिक संविदा राशि देय होगी तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, रॉची द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित देय होगी।

पदनाम	Monthly Honorarium (In Rs. ) for Less than 5 years Experience	Monthly Honorarium (In Rs. ) for 5 years or more Experience
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	23140.00	23700.00
तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	22000.00	22500.00
तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	19000.00	19500.00
लेखा सहायक	14300.00	14800.00
कम्प्यूटर सहायक	14300.00	14800.00

5. नियुक्ति हेतु शर्तें :-

- राष्ट्रीयता – आवेदक भारत का नागरिक हो।
- आरक्षण – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों (OBC I and OBC II) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर बोकारो जिला के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाएगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र के संबंध में दिशा-निर्देश निम्नवत् है :-

क) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र :- आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5772 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा एवं दिनांक 02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

ख) जाति प्रमाण पत्र :- झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची -I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची -II) के संबंध में जिला के उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

अथवा


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

ग) आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र :- आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यक्षीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकार यथा उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

घ) दिव्यांग प्रमाण पत्र :- दिव्यांगता के दावा हेतु मेडिकल बोर्ड द्वारा (झारखंड सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक -14/आ0नी0-04-05/2016 का0 2249/रॉची दिनांक 03.04.2018 के आलोक में) निर्गत निःशक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा एवं वैसे अभ्यर्थियों को अनुमान्य क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

3. सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, रॉची का पत्रांक 5994 दिनांक 18.08.2009 द्वारा उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता/प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसकी वैधता दो वर्ष रहेगी।
4. सभी शैक्षणिक योग्यतायें राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान यथा UGC/AICTE/DEB(Distance Education Bureau) से मान्यता प्राप्त संस्थान का ही मान्य होगा।
5. (i) अभ्यर्थी के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा तथा आवेदन के साथ यह शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका शपथ-पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।  
(ii) अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन समर्पित कर सकेगा।
6. इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसी नियुक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा ना ही अभ्यर्थी इस संबंध में दावा कर सकते हैं।
7. उपर्युक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदकों की प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों की दुगुनी से अधिक संख्या में "प्रारंभिक मेधा सूची" से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा साक्षात्कार/तकनीकी ज्ञान हेतु आवश्यकतानुसार लिखित/दक्षता परीक्षा ली जा सकती है।
8. प्रारम्भिक चरण में इनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
9. संविदा के आधार पर नियुक्ति नियमावली मार्गदर्शिका का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
10. प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के पदों पर चयन बोकारो जिला के लिए किया जायेगा, यह पद जिला स्तरीय होगा। इन पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन संबंधित जिला के किसी भी प्रखण्ड में करने के लिए उपायुक्त, बोकारो सक्षम होंगे एवं उनका निर्णय बाध्यकारी होगा।
11. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रित पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नही हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

12. आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आयु सीमा की गणना मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर होगी।
13. अभ्यर्थी का किसी अंक प्रमाण पत्र में ग्रेड/सी.जी.पी.ए. का उल्लेख हो तो अभ्यर्थी द्वारा अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से उसे अंक/प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
14. जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति हेतु तैयार मेधा सूची से अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र का सत्यापन इत्यादि गठित जिलास्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।
15. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
16. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी।
17. अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधी अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
18. अभ्यर्थी ऑनलाईन समर्पित किये गये आवेदन पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति-प्रमाण पत्र, शपथ पत्र (मूल में) एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों को पोर्टल से डाउनलोड/प्रिंट निकालकर उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। समर्पित किये जाने वाले लिफाफे के उपर निम्न विवरणी अंकित करेंगे :-
  - विज्ञापन संख्या -
  - आवेदित पद का नाम (बड़े-बड़े अक्षरो में)।
  - आवेदक का नाम
  - पता - उप विकास आयुक्त-सह- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, बोकारो  
कैम्प -II, समाहरणालय , बोकारो  
डी.आर.डी.ए. कार्यालय, पिन- 827001
19. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन में समर्पित आवेदन एवं दस्तावेज ही अंतिम रूप से मान्य होगा एवं इसी दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित प्रति निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि (दिनांक 04.10.2023) तक कार्यालय में समर्पित करना अनिवार्य होगा।
20. उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन (<https://applyrdd.jharkhand.gov.in>) के माध्यम से दिनांक 18.09.2023 से 04.10.2023 तक समर्पित कर सकते हैं।

  
11.9.23


उपायुक्त,  
-सह-

जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
बोकारो



## आवेदन पत्र का प्रपत्र

पद का नाम :- प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी



1. अभ्यर्थी का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. स्थायी पता .....
4. वर्तमान पता .....
5. मोबाईल नम्बर .....
6. जन्म तिथि.....(मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र के अनुसार)  
01.08.2023 को उम्र :- दिन ..... माह ..... वर्ष .....
7. लिंग.....
8. दिव्यांग.....(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति)
9. दिव्यांगता का प्रतिशत .....
10. शपथ-पत्र .....(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मूल रूप में संलग्न करें)
11. स्थानीयता ..... (झारखंड का निवासी हैं, तो आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. कोटि.....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची-2) का प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
13. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	किसी भी संकाय/ विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।					

14. अतिरिक्त योग्यता -

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	एम0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0एम / पी0जी0डी0आर0डी0					
2	बी0सी0ए0 / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स					
3	एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान)					

(नोट- अनिवार्य योग्यता से संबंधित डिग्री को अतिरिक्त योग्यता में दर्ज नहीं करें।)

### घोषणा

मैं, यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है किसी भी परिस्थिति में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता रद्द की जा सकती है।


स्थान -

दिनांक-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

## आवेदन पत्र का प्रपत्र

**पद का नाम :- तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)**



1. अभ्यर्थी का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. स्थायी पता .....
4. वर्तमान पता .....
5. मोबाईल नम्बर .....
6. जन्म तिथि.....(मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र के अनुसार)  
**01.08.2023 को उम्र :-** दिन ..... माह ..... वर्ष .....
7. लिंग.....
8. दिव्यांग.....(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति)
9. दिव्यांगता का प्रतिशत .....
10. शपथ-पत्र .....(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मूल रूप में संलग्न करें)
11. स्थानीयता ..... (झारखंड का निवासी हैं, तो आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. कोटि.....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची-2) का प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

**13. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-**

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	बी.ई./बी.टेक (सिविल संकाय)					

**14. अतिरिक्त योग्यता -**

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	एम0टेक (सिविल)					
2	पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस					

(नोट- अनिवार्य योग्यता से संबंधित डिग्री को अतिरिक्त योग्यता में दर्ज नहीं करें।)

### घोषणा

मैं, यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है किसी भी परिस्थिति में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता रद्द की जा सकती है।


स्थान -

दिनांक-

**आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर**

## आवेदन पत्र का प्रपत्र

पद का नाम :- तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)



1. अभ्यर्थी का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. स्थायी पता .....
4. वर्तमान पता .....
5. मोबाईल नम्बर .....
6. जन्म तिथि.....(मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र के अनुसार)  
01.08.2023 को उम्र :- दिन ..... माह ..... वर्ष .....
7. लिंग.....
8. दिव्यांग.....(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति)
9. दिव्यांगता का प्रतिशत .....
10. शपथ-पत्र .....(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मूल रूप में संलग्न करें)
11. स्थानीयता ..... (झारखंड का निवासी है, तो आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. कोटि.....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची-2) का प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

13. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	डिप्लोमा (सिविल संकाय)/ बी.ई. /बी.टेक (सिविल)					

14. अतिरिक्त योग्यता --

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	बी0टेक/बी0ई0 (सिविल संकाय)					
2	बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स/					
3	एम0सी0ए0/ पी0जी0डी0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस					

(नोट- अनिवार्य योग्यता से संबंधित डिग्री को अतिरिक्त योग्यता में दर्ज नहीं करें।)

### घोषणा

मैं, यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है किसी भी परिस्थिति में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता रद्द की जा सकती है।


स्थान --

दिनांक--

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

## आवेदन पत्र का प्रपत्र

पद का नाम :- लेखा सहायक



1. अभ्यर्थी का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. स्थायी पता .....
4. वर्तमान पता .....
5. मोबाईल नम्बर .....
6. जन्म तिथि.....(मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र के अनुसार)  
01.08.2023 को उम्र :- दिन ..... माह ..... वर्ष .....
7. लिंग.....
8. दिव्यांग.....(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति)
9. दिव्यांगता का प्रतिशत .....
10. शपथ-पत्र .....(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मूल रूप में संलग्न करें)
11. स्थानीयता ..... (झारखंड का निवासी हैं, तो आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. कोटि.....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची-2) का प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
13. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	बी. कॉम आनर्स /सामान्य बी. कॉम (न्यूनतम 55% अंक के साथ)					

14. अतिरिक्त योग्यता -

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	एम0कॉम					
2	बी0सी0ए0					
3	एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0					

(नोट- अनिवार्य योग्यता से संबंधित डिग्री को अतिरिक्त योग्यता में दर्ज नहीं करें।)

### घोषणा

मैं, यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है किसी भी परिस्थिति में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता रद्द की जा सकती है।

स्थान -

दिनांक-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

## आवेदन पत्र का प्रपत्र

पद का नाम :- कम्प्यूटर सहायक

1. अभ्यर्थी का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. स्थायी पता .....
4. वर्तमान पता .....
5. मोबाईल नम्बर .....
6. जन्म तिथि.....(मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र के अनुसार)  
01.08.2023 को उम्र :- दिन ..... माह ..... वर्ष .....
7. लिंग.....
8. दिव्यांग.....(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति)
9. दिव्यांगता का प्रतिशत .....
10. शपथ-पत्र .....(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मूल रूप में संलग्न करें)
11. स्थानीयता ..... (झारखंड का निवासी हैं, तो आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. कोटि.....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची-2) का प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

13. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सामान्य / बी0सी0ए0 / सामान्य स्नातक उत्तीर्णता के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण					

14. अतिरिक्त योग्यता -

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस					

(नोट- अनिवार्य योग्यता से संबंधित डिग्री को अतिरिक्त योग्यता में दर्ज नहीं करें।)

### घोषणा

मैं, यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है किसी भी परिस्थिति में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता रद्द की जा सकती है।

स्थान -

दिनांक-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर



## शपथ पत्र प्रारूप (नोटरी द्वारा निर्गत)

विज्ञापन संख्या .....

पद का नाम :- .....

1. अभ्यर्थी का नाम .....

2. पिता/पति का नाम .....

3. स्थायी पता .....

4. वर्तमान पता .....

### घोषणा

मैं, .....पिता/पति .....द्वारा मनरेगा अंतर्गत .....  
..... पद हेतु सिर्फ बोकारो जिला में ही आवेदन समर्पित किया हूँ। मेरे द्वारा झारखंड राज्य  
अंतर्गत किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि मेरा  
शपथ-पत्र कभी भी गलत पाया गया तो मेरी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा मेरे विरुद्ध  
आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

स्थान -

दिनांक-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

